मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 2181/410/2007/20-2 भोपाल दिनांक 7-फरवरी 2007

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजन ।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों में नियोजन किए जाने से स्कूलों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है और इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों पर पड़ता है ।

आपको मालूम ही है कि शिक्षा के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियन 2002" बनाया गया है । इस अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि राज्य शासन के विशिष्ट आदेश पर ही शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में अभिनियोजित किया जा सकेगा । सुलभ संदर्भ के लिए जनशिक्षा अधिनियम 2002 की धारा 10 का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

"10. अशैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों का अभिनियोजन न किया जाना --राज्य सरकार के स्कूल शिक्षकों को शैक्षणिक और ऐसे अन्य कार्यों के लिए अभिनियोजित किया जाएगा जो कि स्कूल के शैक्षणिक कृत्यकारी के अंग के भाग हो । राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर ही उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अभिनियोजित किया जा सकेगा ।"

विभाग की जानकारी में आया है कि मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम 2002 के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बगैर ही स्थानीय स्तर पर शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य पर अभिनियोजित करने की कार्रवाई कर ली जाती है ।

(2)

अतः आपसे ऽ भविष्य में इस विभाग के विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अभिनियोजन न किया जाए । इसकी अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा ।

कृपया इस विषय में सभी संबंधितों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करें।

(इन्द्रनील शंकर दाणी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 219/ 4/9/2006/20-2 भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2007

प्रतिलिपि :—

1/ माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव को सूचनार्थ ।
2/ माननीय मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग को सूचनार्थ ।
3/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
4/ समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश ।
5/ आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
6/ आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
7/ आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल
8/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित । क्रमांक 5,7 से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश प्रसारित करें ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

(3)

लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल 462021
दूरभाष: 0755--2583660, फैक्स: 0755--2583651

भोपाल दिनांक 6 . 2 . 16

क्र./स्था.–3/सी–2/ /2016/ 206

प्रति
1. समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण म.प्र.।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:–गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना पर भेजने बावत।
संदर्भ:–1. शासन पत्र क्र.–एफ 44–69/07/2–2, भोपाल दिनांक 13.07.2009।
2. सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. एफ 6–2/2012/एक/9 भोपाल, दिनांक 25.06.2013

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, तदनुसार निर्देशित किया गया है कि जो शिक्षक संलग्न हैं उन्हें मूल पदस्थापना के लिए भार मुक्त किया जाए और यदि कोई शिक्षक संलग्न पाया जाता है तो उसके वेतन भुगतान के लिए आहरण/संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।

2/ संचालनालय के संज्ञान में आया है कि जन प्रतिनिधियों के पास अथवा विद्यालय से अन्यत्र शासन नियमों के विरूद्ध अनेक शिक्षक संवर्ग के व्यक्ति सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे उन स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

3/ एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का पदस्थापना वाले विद्यालयों में कार्यरत होकर शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। वर्तमान में किसी भी स्तर पर संलग्न शिक्षकों को तत्काल मूल पदस्थापना में पदस्थ की कार्यवाही की जाए। भविष्य में शासन के विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अभिनियोजन पाया जाता है तो व्यक्तिशः संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त निर्देश के विपरीत निर्देश में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस विषय में सभी संबंधितों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

4/ अपरिहार्य स्थितियों में निर्वाचन/जनगणना आदि में शिक्षक को लगाया गया है तो संभागवार/जिला अंतर्गत संलग्न शिक्षकों की संख्या दर्शाते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उक्त संख्या के अतिरिक्त कोई शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में निजी संस्था/कार्यालय/जनप्रतिनिधि के पास कार्यरत नहीं है।

तदनुसार प्रमाण पत्र 07 दिवस की समय सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करें।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 6.2.16

पृ.क्रमांक/स्था.-3/सी-2/ /2016/ 207

प्रतिलिपि:–
1. निज सचिव, मान. मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश